



पंचम स्कन्दमाता



सिंहासनगता नियन्त्र पदमाश्रितकरद्युमा।

शुभदास्यु सदा देवी स्कन्दमाता

वशस्विनीम्॥

भगवती दुर्गा के पांचों स्वरूप को स्कन्दमाता के रूप में जाना जाता है। स्कन्दकुमार अथात कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कन्दमाता कहते हैं।

इनका वाहन मधुर है। आज के दिन साधक का मन "विशुद्ध चक्र" में अवस्थित होता है। इनके विहार में भगवती स्कन्दमाता बालरूप में इनकी मौद और बैठे हुए हैं। स्कन्द मातृस्वरूपी देवी की ओर भूजाएँ हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर बाली भुजा ऊपर की ओर उड़ी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बायीं तरफ की ऊपर बाली भुजा एक बृंदावनी के बालरूप में बैठे हुए हैं।

स्कन्द मातृस्वरूपी देवी की ओर भूजाएँ हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर बाली भुजा ऊपर की ओर उड़ी हुई है, उसमें भी कमल पुष्प है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है, ये कमल के आसन पर विराजमान होती है, इसी कारण से इन्हें पदमासन देवी भी कहा जाता है।

सिंह भी इनका वाहन है।

: ध्यान :

वन्दे वाञ्छित कामार्थं च द्वार्यार्थं शेखराम। सिंहास्नं चतुर्भुजा स्कन्दमाता वशस्वीनम्॥

ध्वन्यवर्णं विशुद्धं चक्रस्थितां पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम्।

अथय पदम युग्म करां दक्षिण उरु उपभूष्यम्॥

पटाक्क वरिधानं मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम्।

मंजूर हार केयुर किंकिणि रत्नकुण्डल धारिणीम्॥

प्रश्नालंबना पल्लवाधारं कांत कपोलां पीन पोधराम्।

कमलीयां लावण्या चारू त्रिवलं नित्मवीम्॥

: स्तोत्र :

नवाम स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम्।

समग्रत्वसागमपार्याग्नाराम॥

शिवप्रभा समुद्रान्तं सुरुच्छशागेष्वरम्।

ललाटरलभाकरा तगवादीपिभास्कराम॥

महेन्द्रकर्षपाचितं सनकुमारसंस्तुताम्।

सुरासुरुद्वान्वितं वयाच्यन्तलाभूषातम्॥

अतवर्णरोचितां विराजीनलाभूषातम्।

नानाकार भूषितं मृदुन्वानवान्नाम्॥

सुशुद्धत्वानेषां त्रिवृत्मसाभूषाम्।

सुधार्मिकौपकरिणीं सुरुद्वैरथातिनीम्।

शुभं पुष्पमालिनी सुवर्णकल्पश्चिनीम्।

तमों अथकारयमिनों शिवरथ्यावाकमिनीम्।

सहस्रसूर्यरजिकां धनजयोग्राकिमाम्॥

सुशुद्ध काल कन्दलां सुधुभृत्वमज्जलाम्।

प्रजायनीं प्रवावर्तं नमामि मारं संतम्॥

स्वकर्मकारणे गंति हरिप्रयाच्य पावर्तीम्।

अनवर्णकारित्वं कान्तिदाम्॥

यशो अर्थमृतमुक्तिदाम्॥

युः पुरुजंदितं नमाम्यहं सुराचिताम्।

देवी मंदिरों में सुबह से ही उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

महिमय हुआ नगर, आज

स्कन्दमाता की होगी आराधना

रीवा। वैतर नवरात्रि के दिनों में पूरा नगर भक्तिमय हो जाता है। इन दिनों जिले भर के देवी मंदिरों में प्रातः भूरे से लेकर देवी मंदिरों की भारी भीड़ जमा हो रही है। नवरात्रि के दौरान बुधवार को श्रद्धालु मात्र क्षमाज्ञा द्वारा भक्तिमाता की भारी भीड़ आराधना में होती रही। मंदिरों में माता के जल छाने वाले भक्तिमाता की भारी भीड़ रहती है।

इतर दिन तक वह धारण करते वाले श्रद्धालुओं की आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के बाद ही वह तोड़ते हैं। तो वही कुछ भवताणों के निजीता वह भी बाराह कर रखता है। विद्युत में मैं भवताण को महाराष्ट्र का अधिक है, व्यापक हर पर्व शारीर आराधना का पर्व है। भक्तिमाता पूरे समय माता को जल छाने वाले श्रद्धालुओं को आस्था भी मंदिरों में देवताएँ ही बढ़ती हैं। ये भक्तिमाता कलाहर करने के ब

स्कूल चले अभियान का दूसरा दिन, छात्रों के बीच स्कूल पहुंचे अधिकारी तो खिल उठे चेहरे

भविष्य से भेट कार्यक्रम में सीएम राइज विद्यालय रायपुर कर्मुलियान पहुंचे कलेक्टर, छात्रों से किया संवाद

जागरण, रीवा। स्कूल चले अभियान के तहत बुधवार को सरकारी स्कूलों में भविष्य से भेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सरकारी स्कूलों तक प्रशासनिक अधिकारी छात्रों के बीच पहुंचे। एसडीएम, तहसीलदार, डॉक्टर, इंजीनियर स्कूलों तक पहुंचे और बच्चों से संवाद किया। रीवा कलेक्टर खुद बच्चों को प्रोत्साहित करने उनके बीच सीएम राइज स्कूल रायपुर कर्मुलियान पहुंचे। उन्होंने छात्रों से पूछा क्या बनना होता हो तो बच्चों ने तपाक से जवाब दिया। किसी ने कहा उन्हें डॉक्टर बनना है तो किसी ने इंजीनियर और सीबीआई ऑफिसर बनने की इच्छा व्यक्त की। छात्र अपने बीच कलेक्टर को प्राप्तिशक्ति देकर अपनी बुखार नज़र आयी।

स्कूल चलें अभियान के दूसरे दिन शालाओं में भविष्य से भेट कार्यक्रम के तहत शासकीय सीएम राइज विद्यालय रायपुर कर्मुलियान में बच्चों से संवाद करते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि हिम्मत और मेहनत से लक्ष्य का निर्धारण कर अपनी पहचान बनायें। उन्होंने पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी पूरी तन्मयता से भाग



लेने की अपेक्षा विद्यार्थियों से की। कलेक्टर ने विद्यालय के आनंद छात्रों से सहज भाव में उनका लक्ष्य पूछा तो किसी ने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहता है तो किसी ने इंजीनियर या सी.बी.आई. ऑफिसर। कलेक्टर ने कहा कि आप अपना लक्ष्य लेकर पूरी मेहनत और इनमानीरी से प्रयास कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम को जानकर प्रश्नपत्र व उल्लेख पैटेन्ट का आकलन करें तथा मेहनत से पढ़ाई करते हुए उसे हासिल करें। उन्होंने बताया कि उनके बैच में भी कई ऐसे लोग थे जो अलग-अलग माहात्मा से आये थे मगर सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए अपना शास्त्र प्रतिशत देकर मंजिल हासिल करना।

कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थी जिस कक्ष में हैं वहाँ सूरी तम्भता से पढ़ाई करें, स्मार्ट फोन का उपयोग पढ़ाई या सकारात्मक विषयों के लिये करें तथा खाती समय में अपने घर के काम में हाथ बटायें और खेलकूद की गतिविधियों में भाग लें। उन्होंने कहा कि कलेक्टर करने के साथ विद्यार्थी से भेट की जा रही है। अभियान के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण करने के साथ विद्यार्थी से भेट की जा रही है। भविष्य से भेट कार्यक्रम के तहत विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशों के अनुसार जिले के राजस्व अधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण कर विद्यार्थीयों से संवाद किया। अपर कलेक्टर सप्ना त्रिपाठी ने शासकीय उत्तराखण्ड क्रमांक दो में विद्यार्थीयों से संवाद कर उन्हें करियर के

साथ-साथ खेलकूद व अन्य गतिविधियों का संचालन होता है और हम उनमें शामिल होते हैं। विद्यालय की सुविधा भी है। विद्यार्थीयों ने मार्गदर्शन प्राप्त कर आगामी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए सहयोग की बात बताई। उन्होंने बताया कि हम स्मार्ट फोन के माध्यम से अनन्तलाइन कक्षाओं में शामिल होते हैं तथा अपनी शंकाओं का समाधान भी प्राप्त करते हैं। इस दौरान ईंओएस पीएस त्रिपाठी, जिला शिक्षा अधिकारी सुधामालाल गुरु, सहित विद्यालय के प्राचार्य व शिक्षक तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे।

मऊगंज जिले में आयोजित हुआ भविष्य से भेट कार्यक्रम

स्कूल चलें हम अभियान के द्वितीय दिवस पर मजाजिं जिले में विद्यालयों में भविष्य से भेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न विद्यालयों में जाकर बच्चों से संवाद दिया तथा उन्होंने पढ़ाई के महत्व की जांच की। जानकारी देते हुए प्रकरण प्रसंग भी सुनायी शास्त्रीयी करना।

झई स्कूल देवतालाब में एसडीएम वी.पी. पाठेया ने बच्चों से संवाद किया तथा उन्हें पुस्तकें भेट की। इसके मौजूद नगर पालिका आयोजित हुआ था। एसडीएम वी.पी. पाठेया ने बच्चों से जांच की। जानकारी देते हुए पुस्तकें भेट की।

संबंध में मार्गदर्शन दिया। अपर कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थीयों को पढ़ाया गया है। जिले भार में स्कूल चलें हम अभियान के तहत सभी स्कूलों में विशेषोत्सव मनाया जा रहा है। अभियान के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण करने के साथ विद्यार्थीयों से भेट की जा रही है।

भविष्य से भेट कार्यक्रम के तहत विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण के संबंध में विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशों के अनुसार जिले के राजस्व अधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण कर विद्यार्थीयों से संवाद किया। अपर कलेक्टर सप्ना त्रिपाठी ने शासकीय उत्तराखण्ड क्रमांक करना।

संयुक्त कलेक्टर पीके पाठेय गोविंदगढ़ कन्या स्कूल पहुंचे : इस क्रम में संयुक्त

कलेक्टर पीके पाठेय ने शासकीय कन्या उच्चतर मार्गदर्शन दिया। अपर कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोविंदगढ़ ने भाग लिया। भविष्य से भेट के क्रम में डॉक्टर जिले के उच्चतर मार्गदर्शन दिया।

कलेक्टर पीके पाठेय ने शासकीय कन्या उच्चतर मार्गदर्शन दिया। गोविंदगढ़ में आयोजित स्कूल चलें हम अभियान में शासकीय उत्तराखण्ड स्कूल चलें हैं, परियोजना निर्माला शर्मा ने उच्चतर मार्गदर्शन विद्यालय का क्रमांक करते हुए पुस्तकें भेट की।

संबंध में मार्गदर्शन दिया। अपर कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थीयों को पढ़ाया गया है। जिले भार में स्कूल चलें हम अभियान में शासकीय उत्तराखण्ड स्कूल चलें हैं, परियोजना निर्माला शर्मा ने उच्चतर मार्गदर्शन विद्यालय का क्रमांक करते हुए पुस्तकें भेट की।

संयुक्त कलेक्टर पीके पाठेय गोविंदगढ़ कन्या स्कूल पहुंचे : इस क्रम में संयुक्त

कलेक्टर पीके पाठेय ने शासकीय कन्या उच्चतर मार्गदर्शन दिया। अपर कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोविंदगढ़ ने भाग लिया। भविष्य से भेट के क्रम में डॉक्टर जिले के उच्चतर मार्गदर्शन दिया।

कलेक्टर पीके पाठेय ने शासकीय कन्या उच्चतर मार्गदर्शन दिया। अपर कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोविंदगढ़ ने भाग लिया। भविष्य से भेट के क्रम में डॉक्टर जिले के उच्चतर मार्गदर्शन दिया।

कलेक्टर पीके पाठेय ने शासकीय कन्या उच्चतर मार्गदर्शन दिया। अपर कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

संयुक्त कलेक्टर पीके पाठेय गोविंदगढ़ कन्या स्कूल पहुंचे : इस क्रम में संयुक्त

कलेक्टर पीके पाठेय ने शासकीय कन्या उच्चतर मार्गदर्शन दिया। अपर कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोविंदगढ़ ने भाग लिया। भविष्य से भेट के क्रम में डॉक्टर जिले के उच्चतर मार्गदर्शन दिया।

कलेक्टर पीके पाठेय ने शासकीय कन्या उच्चतर मार्गदर्शन दिया। अपर कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोविंदगढ़ ने भाग लिया। भविष्य से भेट के क्रम में डॉक्टर जिले के उच्चतर मार्गदर्शन दिया।

कलेक्टर पीके पाठेय ने शासकीय कन्या उच्चतर मार्गदर्शन दिया। अपर कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

संयुक्त कलेक्टर पीके पाठेय गोविंदगढ़ कन्या स्कूल पहुंचे : इस क्रम में संयुक्त

कलेक्टर पीके पाठेय ने शासकीय कन्या उच्चतर मार्गदर्शन दिया। अपर कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोविंदगढ़ ने भाग लिया। भविष्य से भेट के क्रम में डॉक्टर जिले के उच्चतर मार्गदर्शन दिया।

कलेक्टर पीके पाठेय ने शासकीय कन्या उच्चतर मार्गदर्शन दिया। अपर कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण के संबंध में मार्गदर

प्रमुखों के बयानों में विरोधाभास से बढ़ेगा असमंजस

वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग और सुरक्षा की ओर कदम


राष्ट्रीय

मुस्लिम संगठन और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां वक्फ संरोधन विधेयक के खिलाफ कहाँ हैं? आल इंडिया मुस्लिम परसनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केल और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्ष-शासित राज्यों ने विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं, जबकि विपक्षी दल इसके खिलाफ संसद में लापवट है। हालांकि, अजमेर, श्रीगंगावळ के प्रमुख हाजी सैयद सलमान विश्वी ने नए कानून का स्वागत किया है।

दरअसल, वक्फ धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति का स्थायी दान है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन विधेयक के खिलाफ वक्फ और राज्य वक्फ बोर्ड करते हैं। देश में 37.39 लाख एकड़ में फैली 8.72 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। हालांकि, केल 1,088 संपत्तियों के पास वक्फ डील (ऐसा कानून दातावेज, जो प्रमाणित करे कि संपत्ति धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वक्फ के रूप में संपर्कित की गई है) पंजीकृत है, और 9,279 अन्य के पास स्वामित्व अधिकार स्वापित करने वाले दस्तावेज हैं। वक्फ संपत्तियों शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समुदाय के कल्याण हेतु उपयोग करने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसे कई मामले समाप्त नहीं हैं, जिनमें गजनीवाला रूप से जुड़े मुस्लिमों ने वक्फ की संपत्तियों को धोखाधड़ी कर हड्डप लिया है या फिर उन पर कब्जा कर लिया है। इनसे आम गरीब मुसलमानों, खासकर महिलाओं में चिंता उभरी है।

नए वक्फ संसोधन 2024 विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की जाए और उनका तयशुदा इस्तेमाल भी हो। यह वक्फ संपत्तियों में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है।

सवाल उठता है कि क्या वक्फ वाकई वंचित समुदायों और गरीबों के कल्याण व उत्थान के लिए



नए वक्फ संरोधन विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की जाए और उनका तयशुदा इस्तेमाल भी हो। यह वक्फ संपत्तियों में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है।

शेखर अस्यर

काम कर रहा है, जबकि उन्हें ही इसके लाभों और निर्णय लेने से बाहर रखा गया है। सबसे बड़ी खासी यह है कि वक्फ अधिनियम की धारा 40 वक्फ बोर्ड को उपकर द्वारा एकत्र की गई जाकारी के अधार पर किसी भी संपत्ति को, जिसे वह उचित समझे, वक्फ धोखित करने की अनुमति देती है। इससे बड़े विवाद दैदांगी हैं, क्योंकि इस न्यायाधिकरण में तो चुनौती दी जा सकती है, जिसका नियम अतिम होता है। आंकड़ों की मानें, तो करीब 60,000 वक्फ संपत्तियों अतिक्रमण से ही हथियार गई हैं। नए कानून के तहत वक्फ डील अनिवार्य है। सभी संपत्तियों की जानकारी छाह महाने के भीतर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम दो मस्लिम महिलाएं और राज्य वक्फ संघशासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में एक-एक सदस्य बोर्ड और आगाखानी समुदाय से होना अनिवार्य होगा। पिछड़े वर्षों के मस्लिम भाइ बोर्ड का हिस्से होंगे, जिसमें दो गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे। राज्य सरकारें बोर्ड और आगाखानी समुदायों के लिए स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापित कर सकती हैं। इससे वक्फ संपत्ति प्रबंधन में समावेशी और विविधता को बढ़ावा मिलेगा। अतः हमें स्पष्ट होना चाहिए कि मस्लियों और काबिस्तानों जैसी लंबे समय से चली आ रही वक्फ संपत्तियों को संरक्षित रखने के स्पष्ट प्रावधान कानून में किए गए हैं। अतीत में कुछ संपत्तियों औपचारिक दस्तावेज के बिना भी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के बावजूद अब पर वक्फ कर गई है। वास्तविक, यह प्रावधान अब मौजूद नहीं रहेगा, वयोंकि वक्फ डील अनिवार्य होगी, लेकिन मस्लियों और कब्रिस्तानों जैसी वक्फ संपत्तियों को संरक्षण दिया जाएगा, जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले ये वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत होंगे। यह वक्फ संपत्ति के बावजूद नहीं रहेगा, जब वक्फ देते ही कि वे विवादित न हों या सरकारी संपत्ति के रूप में वांछित न हों।

सरकार ने नए कानून के बचाव करते हुए कहा है कि कुछ लोग मुसलमानों में डर दैदांगी कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नया कानून वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के बावजूद अब वक्फ कर गई है। वास्तविक, यह प्रावधान अब मौजूद नहीं रहेगा, वयोंकि वक्फ डील अनिवार्य होगी, लेकिन मस्लियों और कब्रिस्तानों जैसी वक्फ संपत्तियों को संरक्षण दिया जाएगा, जो इस अधिनियम के लागू होने से वहाँ ये वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत होंगे। यह वक्फ संपत्ति के बावजूद नहीं रहेगा, जब वक्फ देते ही कि वे विवादित न हों। दरअसल, कोई बड़ी दंडात्मक कार्रवाई न होनी से प्रायः अधिकारी अपनी संपत्ति का व्योरा देने से करता है। एसे में, संसद की एक स्थायी समिति ने विधायित समय सीमा में व्योरा देने के लिए वार-वार कहने पर स्थायी की नवीनी वासी नहीं की जा सकती। अंगर कोई अधिकारी आदेश के अनुपालन में लापराही बरतता है, तो उसके द्विलापक निस्संदेह कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का व्योरा देने के लिए विवादित होने से बाहर रहता है।

सरकार ने नए कानून के बचाव करते हुए कहा है कि कुछ लोग मुसलमानों में डर दैदांगी कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नया कानून वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के बावजूद अब वक्फ कर गई है। वास्तविक, यह प्रावधान अब मौजूद नहीं रहेगा, वयोंकि वक्फ डील अनिवार्य होगी, लेकिन मस्लियों और कब्रिस्तानों जैसी वक्फ संपत्तियों को संरक्षण दिया जाएगा, जो इस अधिनियम के लागू होने से वहाँ ये वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत होंगे। यह वक्फ संपत्ति के बावजूद नहीं रहेगा, जब वक्फ देते ही कि वे विवादित न हों।

सरकार ने नए कानून के बचाव करते हुए कहा है कि कुछ लोग मुसलमानों में डर दैदांगी कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नया कानून वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के बावजूद अब वक्फ कर गई है। वास्तविक, यह प्रावधान अब मौजूद नहीं रहेगा, वयोंकि वक्फ डील अनिवार्य होगी, लेकिन मस्लियों और कब्रिस्तानों जैसी वक्फ संपत्तियों को संरक्षण दिया जाएगा, जो इस अधिनियम के लागू होने से वहाँ ये वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत होंगे। यह वक्फ संपत्ति के बावजूद नहीं रहेगा, जब वक्फ देते ही कि वे विवादित न हों।

सरकार ने नए कानून के बचाव करते हुए कहा है कि कुछ लोग मुसलमानों में डर दैदांगी कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नया कानून वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के बावजूद अब वक्फ कर गई है। वास्तविक, यह प्रावधान अब मौजूद नहीं रहेगा, वयोंकि वक्फ डील अनिवार्य होगी, लेकिन मस्लियों और कब्रिस्तानों जैसी वक्फ संपत्तियों को संरक्षण दिया जाएगा, जो इस अधिनियम के लागू होने से वहाँ ये वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत होंगे। यह वक्फ संपत्ति के बावजूद नहीं रहेगा, जब वक्फ देते ही कि वे विवादित न हों।

सरकार ने नए कानून के बचाव करते हुए कहा है कि कुछ लोग मुसलमानों में डर दैदांगी कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नया कानून वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के बावजूद अब वक्फ कर गई है। वास्तविक, यह प्रावधान अब मौजूद नहीं रहेगा, वयोंकि वक्फ डील अनिवार्य होगी, लेकिन मस्लियों और कब्रिस्तानों जैसी वक्फ संपत्तियों को संरक्षण दिया जाएगा, जो इस अधिनियम के लागू होने से वहाँ ये वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत होंगे। यह वक्फ संपत्ति के बावजूद नहीं रहेगा, जब वक्फ देते ही कि वे विवादित न हों।

सरकार ने नए कानून के बचाव करते हुए कहा है कि कुछ लोग मुसलमानों में डर दैदांगी कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नया कानून वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के बावजूद अब वक्फ कर गई है। वास्तविक, यह प्रावधान अब मौजूद नहीं रहेगा, वयोंकि वक्फ डील अनिवार्य होगी, लेकिन मस्लियों और कब्रिस्तानों जैसी वक्फ संपत्तियों को संरक्षण दिया जाएगा, जो इस अधिनियम के लागू होने से वहाँ ये वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत होंगे। यह वक्फ संपत्ति के बावजूद नहीं रहेगा, जब वक्फ देते ही कि वे विवादित न हों।

सरकार ने नए कानून के बचाव करते हुए कहा है कि कुछ लोग मुसलमानों में डर दैदांगी कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नया कानून वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के बावजूद अब वक्फ कर गई है। वास्तविक, यह प्रावधान अब मौजूद नहीं रहेगा, वयोंकि वक्फ डील अनिवार्य होगी, लेकिन मस्लियों और कब्रिस्तानों जैसी वक्फ संपत्तियों को संरक्षण दिया जाएग

